

ABM in full support to those ULB's of Indian States which are keen to see the good change by using IT solutions & services.

The current flow of digitization in India is making Indian Government proactive to bring 'e' factor into everything from governance to smart cities.

ABM is in full support to those Urban Local Bodies of different States which are keen to see the good change by using IT solutions & services.

Recently on 18th March 2017, 'eMunicipality Bihar' Citizen Mobile App developed by ABM was launched by Mr. Abhishek Singh, IAS, Municipal Commissioner, Patna Municipal Corporation, Mr Afzal Imam, Mayor and Mrs. Amrawati Devi, Dy. Mayor, PMC.

इ-म्यूनिसिपैलिटी एप से डाउनलोड होंगे प्रमाणपत्र

■ आधा दर्जन नागरिक सुविधाएं मिलेंगी, राज्य का पहला नगर निकाय बना नगर निगम

संवाददाता ▶ पटना

नगर निगम की नगर सेवा इ-म्यूनिसिपैलिटी मोबाइल एप शनिवार को लांच की गयी. लांचिंग कार्यक्रम बजट बैठक से पहले किया शुरू किया गया था. शनिवार को पेश होनेवाले निगम बजट पेश होने से पहले मेयर अफजल इमाम, नगर आयुक्त अभिषेक सिंह व उप महापौर अमरावती देवी ने एप को लांच किया. एप में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन की सुविधा होगी. इसके अलावा आरटीआइ आवेदन,

होलिडिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस से लेकर वेबसाइट पर मिलनेवाली अन्य सुविधाएं मिलेंगी.

नगर आयुक्त ने बताया कि एक अप्रैल से ऑफ लाइन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जायेगा. इसके बाद इस तरह की नागरिक सुविधा ऑनलाइन ही मिलेंगी. इसके अलावा नक्शा के ऑनलाइन आवेदन के बाद एप पर उसका स्टैटस देखा जा सकता है. नगर आयुक्त ने बताया कि पूरे राज्य में पटना नगर निगम इ-म्यूनिसिपैलिटी एप सबसे पहले पहली बार जारी किया गया है. एप को एंड्रॉयड और ब्लैकबेरी वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है.

Prabhat Khabar, Patna Edition dated 19/03/2017

Front Page > Bihar > Story

Tweet G+ 0



Civic services at fingertips

Our Correspondent

Patna Municipal Corporation took a step towards becoming smarter on Saturday. It launched a mobile application, e-Municipality Bihar, to facilitate online facilities for its various services.

The application will help residents search their birth certificates, getting its duplicate copy and procuring death certificates among others.

Residents can also submit Right to Information (RTI) petitions and file application for building permit and regulations using the online services. Moreover, they can lodge complaints on civic work on the application. To avail the facility, the citizens will have to visit Google Playstore on their cellphone and install the e-Municipality Bihar application. The user will have to complete a registration process to activate it. The application is now only available on Android phones.

PMC commissioner Abhishek Singh launched the facility along with mayor Afzal Imam and deputy mayor Amravati Devi on Saturday.

Commissioner Singh said: "Earlier, residents could pay their taxes only through desktop by logging into the PMC website. But now they can pay their taxes and check the status of their various applications on their mobile through the application."

"The application will have dashboards informing residents about PMC taxes and schemes. We will add the option of depositing mutation fee in the app later," said Singh.

Only Patna residents can avail of the facilities through the application now.

"But very soon, residents belonging to other urban local bodies will be able to avail of the benefits. The local bodies have not submitted necessary details. When they do, the online facilities will be extended to their respective residents," he added.

www.jagran.com

पटना जागरण

पटना, 19 मार्च 2017 | दैनिक जागरण | 9

बिना पढ़े ही आधे घंटे में निगम का बजट पास

जागरण की खबर पर मुहर : पार्षद 1.10 करोड़ की योजनाओं की करेगे अनुशांसा, हॉलिंग टैक्स का लक्ष्य किया 100 करोड़

जागरण का पटना, पटना : नगर निगम का बजट 2017-18 का वार्षिक अग्र बजट शीत-उन्हाड़े के बीच बिना पढ़े ही आधे घंटे में पास कर दिया गया। नगर प्रशासन स्तर में 224 पार्षदों का भागीदारी वाला बजट 11:30 बजे तक ही पार हो गया। बजट में सौजन्य टैक्स के लक्ष्य को 80 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किया गया है। अब निगम बजट अपने बजट में एक करोड़ 10 लाख रुपये के विकास कार्यों को अनुमति कर सकेगा। बजट में नगर निगम के सभी 75 वार्डों के लिए 82.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।



मंत्रालय पर तब बजट पार हो गया। नगर प्रशासन स्तर में 224 पार्षदों का भागीदारी वाला बजट 11:30 बजे तक ही पार हो गया।

पार्षदों ने लोटाई की
बजट का कई पार्षदों ने विरोध करते हुए कहा कि अगर नगर निगम के बजट पार हो जाए तो पटना नगर में, जो आज भी खराब चल रहा है। शान्ति चौक चारों तरफ खिल नुस्खे पानू, कचरा जमाव, गैरकानूनी दुकानें, अंधेरे में चल रहे हैं। बजट में नगर निगम के सभी 75 वार्डों के लिए 82.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पार्षदों ने लोटाई की
बजट का कई पार्षदों ने विरोध करते हुए कहा कि अगर नगर निगम के बजट पार हो जाए तो पटना नगर में, जो आज भी खराब चल रहा है। शान्ति चौक चारों तरफ खिल नुस्खे पानू, कचरा जमाव, गैरकानूनी दुकानें, अंधेरे में चल रहे हैं। बजट में नगर निगम के सभी 75 वार्डों के लिए 82.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अब मोबाइल पर से भी जन्म मुद्रा प्रमाण पत्र का आवेदन प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा नगर निगम के नए नए योजनाओं के लिए निगम के नए नए बजट पार हो जाने पर नगर प्रशासन स्तर में 224 पार्षदों का भागीदारी वाला बजट 11:30 बजे तक ही पार हो गया। बजट में सौजन्य टैक्स के लक्ष्य को 80 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किया गया है। अब निगम बजट अपने बजट में एक करोड़ 10 लाख रुपये के विकास कार्यों को अनुमति कर सकेगा। बजट में नगर निगम के सभी 75 वार्डों के लिए 82.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

विकास कार्य	अनुमानित बजट
विकास कार्य	297 करोड़
विकास कार्य	330 करोड़
विकास कार्य	199 करोड़
विकास कार्य	530 करोड़
विकास कार्य	392 करोड़
विकास कार्य	216 करोड़
विकास कार्य	608 करोड़
विकास कार्य	224 करोड़
विकास कार्य	208 करोड़
विकास कार्य	332 करोड़
विकास कार्य	530 करोड़

पार्कों के विकास पर जोर
निगम बजट में 22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में नगर निगम के नए नए बजट पार हो जाने पर नगर प्रशासन स्तर में 224 पार्षदों का भागीदारी वाला बजट 11:30 बजे तक ही पार हो गया। बजट में सौजन्य टैक्स के लक्ष्य को 80 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किया गया है। अब निगम बजट अपने बजट में एक करोड़ 10 लाख रुपये के विकास कार्यों को अनुमति कर सकेगा। बजट में नगर निगम के सभी 75 वार्डों के लिए 82.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अंधेरे में रहा शहर, खर्च नहीं हो सकी पूरी राशि

जागरण का पटना, पटना : पटना नगर निगम का बजट 2017-18 का वार्षिक अग्र बजट शीत-उन्हाड़े के बीच बिना पढ़े ही आधे घंटे में पास कर दिया गया। नगर प्रशासन स्तर में 224 पार्षदों का भागीदारी वाला बजट 11:30 बजे तक ही पार हो गया। बजट में सौजन्य टैक्स के लक्ष्य को 80 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किया गया है। अब निगम बजट अपने बजट में एक करोड़ 10 लाख रुपये के विकास कार्यों को अनुमति कर सकेगा। बजट में नगर निगम के सभी 75 वार्डों के लिए 82.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पटना नगर निगम का बजट 2017-18 का वार्षिक अग्र बजट शीत-उन्हाड़े के बीच बिना पढ़े ही आधे घंटे में पास कर दिया गया। नगर प्रशासन स्तर में 224 पार्षदों का भागीदारी वाला बजट 11:30 बजे तक ही पार हो गया। बजट में सौजन्य टैक्स के लक्ष्य को 80 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किया गया है। अब निगम बजट अपने बजट में एक करोड़ 10 लाख रुपये के विकास कार्यों को अनुमति कर सकेगा। बजट में नगर निगम के सभी 75 वार्डों के लिए 82.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

